राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, पाली

क्रमांक एफ.12(3)(38)राज/2025/2525 दिनांक : 28/04/25

–:: आदेश ::–

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के पत्रांक प.6(88)राज–3/2025–26850 दिनांक 22.04.2025 के जरिये जयपुर जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण में आने वाली कुल 4.6539 हैक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन की एवज में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु पाली जिले के ग्राम दयालपुरा के खसरा नम्बर 892/97 रकबा 21.9015 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 भाखर तथा ग्राम मणिहारी तहसील पाली के खसरा नम्बर 23 रकबा 240.3667 हैक्टेयर में से 216.4579 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 भाखर कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 238.3594 हैक्टेयर आरक्षित भूमि में से 4.6539 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 (राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियां) के तहत वन विभाग को निःशुल्क आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की है।

अतः शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के अनुसरण में जयपुर जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण में आने वाली कुल 4.6539 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की एवज में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वन भूमि के भूमि कोष (वन भूमि प्रत्यावर्तन की एवज में प्राप्त की जाने वाली गैर वन भूमि) हेतु आरक्षित भूमि ग्राम दयालपुरा तहसील पाली के खसरा नम्बर 892/97 रकबा 21.9015 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 भाखर में से 4.6539 हैक्टेयर भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग को निःशुल्क आवंटन किया जाता है। तहसीलदार पाली तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करते हुए सम्बन्धित विभाग को आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

कार्यालय जिला कलक्टर पाली (राज.)

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली

क्रमांक एफ.12(3)(38)राज/2025/2526–2534 दिनांक : 28/04/25

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, पाली
5. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी, पं0स0, पाली
6. प्रशासक, ग्राम पंचायत दयालपुरा
7. पटवारी हल्का दयालपुरा द्वारा तहसीलदार पाली
8. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर, पाली

Validity unknown Signature valid
Digitally signed by Laxmi Narayan Mantri
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.28 18:39:27 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प.6(88)राज-3/2025-26850 जयपुर, दिनांकः Signed Date

जिला कलक्टर,
पाली।

विषयः- विभिन्न सडको के निर्माण में आने वाली वन भूमि के बदले गैर वन भूमि वन विभाग को आवंटित करने के संबंध में।

संदर्भः- जिला कलक्टर, जयपुर का पत्र क्रमांक 1858 दिनांक 11.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कलक्टर, जयपुर के संदर्भित प्रस्तावानुसार जयपुर जिले में विभिन्न सडको के निर्माण में आने वाली कुल 4.6539 है0 वन भूमि की एवज में पाली जिले में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत गैर वन भूमि के भूमि कोष के रूप में ग्राम दयालपुरा के ख0नं0 892/97 रकबा 21.9015 हैक्टेयर किस्म गै.मु. भाखर तथा ग्राम मणिहारी तहसील पाली के ख.नं. 23 रकबा 240.3667 है0 में से 216.4579 हैक्टेयर किस्म गै.मु. भाखर कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 238.3594 है0 आरक्षित भूमि में से 4.6539 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 (राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियो) के तहत वन विभाग को निःशुल्क आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृति निर्देशानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति विभागीय समसंख्यक पत्रावली के पैरा 18/एन पर दिनांक 22.04.2025 को सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत जारी की गई है।

भवदीय,

(बिरदी चंद गंगवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग
3. जिला कलक्टर, जयपुर को संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में प्रेषित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रकरण में जिला कलक्टर, पाली से समन्वय स्थापित कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही संपादित करने का श्रम करावें।
4. मास्टर गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव

Validity unknown
Digitally signed by Birdi Chand Gangwal
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.04.22 22:10:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14873712

कार्यालय जिला कलेक्टर एवमं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

क्रमांकः आर–1 / डार्यवर्जन / 24 / 1858 दिनांकः 11/03/25

शासन उप सचिव,
राजस्व (ग्रुप–3) विभाग,
जयपुर

विषयः– विभिन्न सडको के निर्माण में आने वाली वन भूमि के बदले गैर वन भूमि को वन विभाग को आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्र कमांक 12 दिनांक 04.01.24 एवं 3211 दिनांक 04.09.24 3703 दिनांक 14.10.24 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि प्रकरण में सडको के निर्माण में आने वाली वन भूमि के बदले गैर वन भूमि को वन विभाग को आवंटित करने हेतु राजकीय स्वीकृति भिजवाने हेतु निवेदन किया गया था। उक्त के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत ग्रामीण, जयपुर द्वारा पत्र प्रेषित कर निवेदन किया गया है कि जयपुर जिले में बजट घोषणा में स्वीकृति 03 निर्माण कार्यो में आ रही वन भूमि के एवज में गैर वन भूमि आवंटित की जानी है। इस संन्दर्भ में निर्माण में आ रही वन भूमि की एवज में गैर वन भूमि का पाली जिले में भूमि कोष स्थापित किया गया है। अतः उक्त सडको के निर्माण में आवश्यक कुल 4.6539 हैक्टेयर भूमि पाली जिले मे स्थित भूमि कोष मे से आवंटित करवाने हेतु प्राप्त हुआ है।

अतः अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत ग्रामीण, जयपुर से प्राप्त पत्र मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोंक्तानुसार

(विनीता सिंह)
अति0 कलक्टर –प्रथम,
प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा,
जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Vinita Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.03.10 22:26:30 IST
Reason: Approved

☎ 0141-2209001(O) 0141-2209000(Fax) Email:- dm-jaip-rj@nic.in (F.Tree)

533
25-2-25

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,सा.नि.वि.वृत्त ग्रामीण, जयपुर

क्रमांक: 12125 दिनांक 21/2/25

जिला कलेक्टर,
जिला–जयपुर।

विषय :–विभिन्न सड़कों के निर्माण में आने वाली वन भूमि के बदले गैर वन भूमि वन विभाग को आवंटित करने बाबत्।

प्रसंग :– अति. मुख्य सचिव सा.नि.वि. के पत्रांक SE(FCC)/2024/D-101 दिनांक 23.12.2024 एवं इस कार्यालय के राजकाज संख्या 8644010 दिनांक 04.07.2024, पत्र संख्या 1559 दिनांक 31.07.2024, पत्र संख्या 2177 दिनांक 03.09.2024, 11107 दिनांक 24.12.2024 एवं 11234 दिनांक 03.01.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्रों के क्रम में पुनः निवेदन है कि जयपुर जिले में बजट घोषणा में स्वीकृति निम्नलिखित 3 निर्माण कार्यो में आ रही वन भूमि के एवज में गैर वन भूमि आवंटित की जानी है। इस संदर्भ में निवेदन है कि निर्माण में आ रही वन भूमि की एवज में गैर वन भूमि का पाली जिले में भूमि कोष (Land Bank) स्थापित किया गया है।

क्र.सं.	सडक का नाम	प्रस्ताव संख्या	चही गई गैर वन भूमि (हेक्टेयर में)	कार्यालय जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि (हेक्टेयर में)	शेष आवंटित की जाने वाली गैर वन भूमि (हेक्टेयर में)
1.	Widening & Strengthening of Road from SH – 55 to Raipur-Mahghor – Chainpura- Darolai-Pratapgarhuptoalwar Border. District- Jaipur (Rajasthan)	FP/RJ/ROAD/405960/2022	3.5655	2.838	0.7275
2.	Widening & Strengthening of Mahngi to Dudli mode via Bhawani khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasana, Gaonli, Newal, Maksudanpura, Chawandiya, Distt. Jaipur (Rajasthan)	FP/RJ/ROAD/151862/2022	3.5568	3.4764	0.0804
3.	Widening & Strengthening work of Kukas Chapredi to Singhwana mod	FP/RJ/ROAD/445300/2023	3.846	-	3.846
	Total				4.6539

अतः उक्त तीनों सड़कों के निर्माण में आवश्यक कुल 4.6539 हेक्टेयर भूमि पाली जिले में स्थित भूमि कोष (Land Bank) में से आवंटित करवाने हेतु प्रस्ताव विशिष्ट शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान सरकार को भिजवाने का श्रम करें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Signature valid
Digitally signed by Ramesh Kumar Singh
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.02.20 13:34:55 IST
Reason: Approved

(आर. के. सिंह)
अधीक्षण अभियंता
सा.नि.वि.वृत्त ग्रामीण, जयपुर

RajKaj Ref No.: 13714529